कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना

(बी0 भी0 सी0 पटना–14)

Email – ID – dahopat@gmail.com

निविदा–सूचना

जिला पदाधिकारी, पटना के निदेश के आलोक में दर निर्धारण के तिथि से अगले एक वर्ष के लिए (वार्षिक दर अनुबंध) पटना शहरी क्षेत्र के सड़को पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाली बेसहारा पशुओं को पकड़कर श्रीकृष्ण गौशाला, पटना सिटी में रखने की योजना के तहत गौशाला में रखे गये पशुओं को खिलाने एवं पशु क्रुरता के क्रम में जप्त कर रखे गये पशुओं को खिलाने हेतु गुणवत्तायुक्त पशुचारा यथा–गेहूं भूसा, गेहूं चोकर, नेवारी कुट्टी एवं कटा हुआ मौसमी हरा चारा के क्रय के लिए दर निर्धारण हेतु प्रकाशन की तिथि से 21वें दिन तक के अपराह्न 3 बजे तक में द्विलिफाफा पद्धति के आधार पर आपूर्तिकर्ता से सीलबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है। अन्तिम तिथि तक प्राप्त निविदा को अगले कार्यदिवस के 11:00 बजे पूर्वाह्न में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना के कार्यालय कक्ष में जिला स्तरीय क्रय समिति एवं निविदादाता/उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य है। निविदा सूचना की विस्तृत शर्त्ते एवं विवरणी डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट https//state.bihar.gov.in/ahd पर एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना तथा निकटस्थ पशुपालन विभाग के स्थानीय कार्यालय के सूचनापट्ट पर देखा जा सकता है।

विशेष जानकारी कार्यालय अवधि में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना से प्राप्त की जा सकती है।

18/08/26

जिला पशुपालन पदाधिकारी
पटना।

निविदा की शर्त्ते

1. जिला पदाधिकारी पटना के निदेश के आलोक में विभागीय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु पटना शहरी क्षेत्र के सड़को पर यत्र–तत्र घुमने/रहने वाली बीमार, बेसहारा पशुओं को पकड़कर श्रीकृष्ण गौशाला पटना सिटी में रखने की योजना के तहत गौशाला में रखे गये पशुओं को खिलाने एवं पशु क्रुरता के क्रम में पकड़े गये पशुओं को खिलाने हेतु पशु चारा के दर/आपूर्तिकर्त्ता के निर्धारण के लिए प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्त्ता से निम्नांकित सामग्रियों के लिए सीलबन्द निविदा आमंत्रित कि जाती है।
   क – भूसा (गेंहूँ का भूसा)
   ख – कुट्टी (नेवारी)
   ग – गेहूं चोकर
   घ – कटा हुआ मौसमी हरा चारा
2. निविदादाताओं से उपरोक्त वर्णित पशु चारा हेतु निविदा सील बंद लिफाफा मे आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द निविदा लिफाफा मे तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग सील बन्द लिफाफा रहना अनिवार्य होगा। संबंधित लिफाफे के उपर "तकनीकी निविदा" एवं "वित्तीय निविदा" अंकित कर इन दोनों लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में सील बंद कर स्पीड पोस्ट/रजिर्स्टड पोस्ट/हाथों–हाथ निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 वें दिन तक के 3 बजे अपराह्न तक जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदा प्राप्ति के दूसरे कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न में जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष निविदादाता की उपस्थिति मे जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना के कार्यालय कक्ष में खोला जाएगा। विधिवत रूप से प्राप्त सील बन्द निविदा पर ही विचार किया जायेगा।
3. तकनीकी निविदा में निविदादाता को विगत तीन वर्षो का सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थान/गौशाला, प्रतिष्ठित निजी डेयरी फार्म (रजिस्ट्रर्ड/जी0एस0टी0 प्राप्त) को पशु आहार आपूर्ति करने संबंधी क्रयादेश एवं आपूर्ति प्रमाण पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. विगत तीन वर्ष का इन्कम टैक्स रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
5. पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म का वैध जी0एस0टी0 रजिस्टेशन का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. तकनीकी निविदा के साथ आपूर्तिकर्ता को यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि:–
   - निविदादाता किसी सरकारी या अर्धसरकारी संस्थान द्वारा काली सूची में दर्ज नही है।
   - निविदादाता को इस निविदा में अंकित सभी शर्ते मान्य है।
   - पशु आहार का दर स्थानीय बाजार से अधिक नही है।
8. तकनीकी निविदा में निविदादाता को 2,00,000 (दो लाख) रुपये के अग्रधन की राशि (EMD) जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट (PAYBLE AT PATNA) जमा करना अनिवार्य होगा। असफल निविदादाता द्वारा जमा अग्रधन राशि उनके अनुरोध पर लौटा दी जाएगी, जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा अग्रधन राशि एकरारनामा के समय सिक्योरिटी डिपोजिट राशि जमा करने के उपरांत लौटा दी जायेगी। अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद/ब्याज देय नही होगा। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सामग्री आपूर्ति नही किये जाने की स्थिति में प्रतिभूति जमा की राशि (सुरक्षित जमा राशि) को जब्त करने के साथ ही भुगतान पर रोक लगायी जा सकती है।
9. केन्द्रीय/राज्य क्रय संगठन/राष्ट्रीय लघु उद्योग/MSME में निबंधित आपूर्तिकर्ता को अग्रधन राशि में छूट प्राप्त करने हेतु निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति तकनीकी निविदा के साथ सलंग्न करना अनिवार्य होगा।
10. सफल निविदादाता द्वारा एकरारनामा के समय सिक्योरिटी डिपोजिट राशि (प्रतिभूति जमा राशि/सुरक्षित जमा राशि) गेहूँ चोकर हेतु 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) रूपये, गेहूँ भूसा हेतु 1,00,000 (एक लाख) रूपये, नेवारी कुट्टी हेतु 1,00,000 (एक लाख) रूपये एवं मौसमी हरा चारा हेतु 25,000 (पचीस हजार) रूपये जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट Payble at Patna जमा करना अनिवार्य होगा। प्रतिभूति जमा राशि पर किसी प्रकार का सूद/ब्याज देय नहीं होगा। दर अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत प्रतिभूति जमा राशि का बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट उनके अनुरोध पर वापस कर दिया जायेगा।

11. निविदादाता को निविदा के साथ आपूर्ति की जाने वाली सामग्री का सैम्पल पारदर्शी थैला में अपने नाम, पता एवं मोबाईल नं0 अंकित करते हुये देना अनिवार्य होगा।

12. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात / प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. तकनीकी निविदा प्रकाशन तिथि के 21 वें दिन के अगले कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाहन में जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना / उप विकास आयुक्त, पटना के कक्ष में जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी, जिसमें आपूर्तिकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि का भाग लेना आवश्यक होगा। जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा इस निविदा में अंकित शर्तो के अर्न्तगत तकनीकी रूप से सक्षम पाये जानेवाले निविदादाता के वित्तीय निविदा खोलने हेतु अनुशंसा की जायेगी।

14. वित्तीय निविदा में निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित पशु चारा की आपूर्ति श्रीकृष्ण गौशाला कटरा, दिदारगंज, पटना सिटी, पटना में करना होगा, जिसमें परिवहन व्यय सम्मिलित होगा। वित्तीय निविदा में अंकित उक्त दर के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि (परिवहन व्यय इत्यादि) देय नही होगा।

15. तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदादाताओ का वित्तीय निविदा जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष खोला जायेगा। जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा समीक्षोपरान्त प्रत्येक सामग्री का दर निर्धारित करने की कार्रवाई की जायेगी। इसमें जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा। इसके उपरान्त चयनित निविदादाता को 3 दिनों के अन्दर सभी विहित शर्तो के अर्न्तगत जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के साथ एकरारनामा करना अनिवार्य होगा। एकरारनामा के उपरान्त जिला पशुपलान पदाधिकारी, पटना से प्राप्त अधियाचना (INDENT) के आधार पर विहित शर्तो के अर्न्तगत 24 (चौबीस) घंटे के अन्दर आपूर्ति करनी होगी। निर्गत आपूर्ति आदेश के अनुपालन में पशु चारा ससमय जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना द्वारा दिये गये निदेशित स्थान पर आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसकी पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित आपूर्तिकर्ता की होगी। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब होने पर दण्ड राशि (PENALTY) की वसूली करने के साथ–साथ काली सूची में दर्ज करने / वैधानिक कार्रवाई करने का जिला पशुपालन पदाधिकारी पटना को अधिकार सुरक्षित रहेगा। आपूर्ति किये गये सामग्रियों के विरूद्ध अनुमान्य राशि का भुगतान संगत मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के द्वारा किया जायेगा।

16. जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना को कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। निविदा पर जिला स्तरीय क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा विशेष परिस्थिति में स्वीकृत दर पर एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश दिया जा सकता है, साथ ही यदि आपूर्तिकर्त्ता द्वारा ससमय चारा आपूर्ति करने में अनियमिता दिखाई जाती है, तो वैसी परिस्थिति में पशुओं की खुराक को ध्यान में रखते हुए L2 आपूर्तिकर्त्ता से L1 के निर्धारित दर पर पशु चारा की आपूर्त्ति ली जा सकेगी।

17. आपूर्तिकर्ता को उनके द्वारा आपूर्ति की गई पशु चारा गेहूं भूसा, गेहूं चोकर, नेवारी कुट्टी एवं कटा हुआ मौसमी हरा चारा का गुणवत्ता प्रमाण पत्र संबंधित गौशाला में प्रतिनियुक्त विभागीय पदाधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। **गुणवत्तायुक्त पशुचारा नही रहने पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को गुणवता में सुधार हेतु तीन बार चेतावनी दी जायेगी। चेतावनी के बाद भी यदि सुधार नही किया जाता है तो निविदा के द्वारा चयन में L2 आपूर्तिकर्त्ता को जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना L1 के निर्धारित दर पर आपूर्ति करने हेतु आदेश देने के लिए स्वतंत्र होंगे तथा सिक्योरिटी डिपोजिट राशि (प्रतिभूति जमा राशि / सुरक्षित जमा राशि) को जब्त कर लिया जायेगा। साथ ही भुगतान पर रोक लगाते हुये काली सूची में दर्ज करने / वैधानिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगें।**

18. जिला स्तरीय क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर निर्धारण के तिथि से अगले एक वर्ष (वार्षिक दर अनुबंध) के लिए मान्य होगा।

19. वार्षिक दर अनुबंध अवधि की समाप्ति के पश्चात अगले निविदा सम्पन्न होने तक चिन्हित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा चारा की आपूर्ति करते रहना होगा।

20. किसी भी प्रकार का वैधानिक मामला का निपटारा पटना स्थित न्यायालय के अर्न्तगत होगा।

18/08/26

जिला पशुपालन पदाधिकरी
पटना।